*निरर्हता-निवारण (मेघालय विधान सभा सदस्य) अधिनियम, 1972

(1972 का अधिनियम संख्यांक 3)

[23 अप्रैल, 1972]

कतिपय लाभ के पदों के धारकों को मेघालय विधान-सभा के सदस्यों के रूप में चुने जाने और उसके सदस्य होने या रहने के लिए निरर्हित न होना घोषित करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के तेईसवें वर्ष में मेघालय विधान-मंडल द्वारा यह निम्नलिखित रूप में अधिनियमित हो :---

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ---(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम निरर्हता-निवारण (मेघालय विधान सभा सदस्य) अधिनियम, 1972 है ।

(2) यह 21 जनवरी, 1972 को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा ।

2. कतिपय मामलों में निरर्हताओं का हटाना---इस तथ्य के आधार पर कि कोई व्यक्ति इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट पदों में से कोई पद धारण करता है, जहां तक यह राज्य सरकार के अधीन कोई लाभ का पद है, वह मेघालय विधान सभा के सदस्य के रूप में चुने जाने या उसके सदस्य होने या रहने के लिए निरर्ह न होगा या कभी भी निरर्ह हुआ न समझा जाएगा ।

3. मेघालय राज्य के 1972 के अध्यादेश संख्यांक 1 और 5 का निरसन---निरर्हता निवारण (मेघालय विधान सभा सदस्य) अध्यादेश, 1972 और निरर्हता निवारण (मेघालय विधान सभा सदस्य) (संशोधन) अध्यादेश, 1972 इसके द्वारा निरसित किए जाते हैं ।

अनुसूची

(धारा 2 देखिए)

1. मेघालय के किसी मंत्री, राज्यमंत्री, उपमंत्री या संसदीय सचिव द्वारा धारित कोई पद ।

1क. विपक्ष के नेता का पद ।

2. मेघालय सरकार के राज्यमंत्री या उपमंत्री का पद ।

3. मेघालय सरकार के संसदीय सचिव का पद ।

4. सरकारी प्लीडर या लोक अभियोजक का पद ।

5. सरकारी शैक्षणिक संस्था में अंशकालिक आचार्य, प्राध्यापक, अनुदेशक या अध्यापक का पद, इस पद के अन्तर्गत अपर सरकारी प्लीडर, सरकारी अधिवक्ता, अपर लोक अभियोजक, सहायक सरकारी प्लीडर, सहायक लोक अभियोजक और ऐसा कोई अन्य अधिवक्ता या प्लीडर भी है जिसे राज्य सरकार द्वारा किसी न्यायालय या अधिकरण के समक्ष राज्य के मामलों को संचालित करने के लिए विशेष रूप से नियुक्त किया गया हो ।

6. चिकित्सा व्यवसायी जो सरकार को अंशकालिक सेवा प्रदान कर रहा है ।

7. भारत सरकार या भारत के संविधान की पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किसी समिति, बोर्ड या प्राधिकारी के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य का पद ।

स्पष्टीकरण 1---"समिति" से भारत सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा स्थापित कोई समिति, आयोग, परिषद् या एक या अधिक व्यक्तियों का कोई अन्य निकाय, चाहे वह कानूनी हो या न हो अभिप्रेत है ।

स्पष्टीकरण 2---"बोर्ड या प्राधिकारी" से तत्समय प्रवृत्त किसी केन्द्रीय विधि या किसी राज्य की विधि द्वारा या उसके अधीन या ऐसी किसी विधि के अधीन शक्तियों और कृत्यों का प्रयोग करके स्थापित किया गया, रजिस्ट्रीकृत किया गया या बनाया गया कोई निगम, कंपनी, सोसाइटी या एक या अधिक व्यक्तियों का कोई अन्य निकाय, चाहे वह निगमित हो या न हो अभिप्रेत है ।

---

* यह प्राधिकृत हिंदी पाठ नहीं है ।

7क. मेघालय राज्य सरकार द्वारा गठित राज्य योजना बोर्ड या राज्य स्तर की लोक शिकायत समिति या किसी अन्य बोर्ड या समिति का सभापति, उपसभापति, उपाध्यक्ष या सदस्य का पद, चाहे वह पूर्णकालिक हो या न हो ।

8. सरकार के अधीन, वेतन या फीस के रूप में पारिश्रमिक वाला ऐसा कोई पद जो पूर्णकालिक नहीं है ।

9. किसी स्वायत्त जिले की जिला परिषद् में अध्यक्ष, मुख्य कार्यपालक सदस्य या अन्य कार्यपालक सदस्य या साधारण सदस्य या राज्यपाल द्वारा ऐसी जिला परिषद् में नामनिर्दिष्ट किसी सदस्य का पद ।

10. प्रादेशिक सेना या राष्ट्रीय कैडेट कोर में धारित कोई पद ।

11. मेघालय विधान सभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का पद ।

12. नगरपालिका बोर्ड के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का पद ।

13. राज्य सरकार के प्राधिकार द्वारा या उसके अधीन गठित ग्राम रक्षा दल में (चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो) कोई पद ।

14. समिति या किसी सहकारी सोसाइटी में (जो सहकारी सोसाइटियों के रजिस्ट्रीकरण से संबंधित तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत है या रजिस्ट्रीकृत समझी जाएगी) अध्यक्ष या सदस्य का ऐसा पद जिस पर राज्य सरकार द्वारा नियुक्ति की जाती है या शासकीय समापक या संयुक्त समापक जिसकी नियुक्ति सहकारी सोसाइटियों के रजिस्ट्रार द्वारा की जाती है या रजिस्ट्रार के नामनिर्देशिती का पद, चाहे इसकी नियुक्ति व्यक्तिशः की जाती है या नामनिर्देशितियों के बोर्ड द्वारा की जाती है ।

15. शासक या विपक्षी पार्टी या ग्रुप में मुख्य सचेतक, उप मुख्य सचेतक या सचेतक का पद ।

16. किसी बोर्ड या समिति या किसी कार्यालय में अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का पद जिसे मेघालय विधान सभा का सदस्य धारण कर रहा है और वह, यथास्थिति, मंत्री या राज्यमंत्री की सुविधाओं, विशेषाधिकारों या प्रास्थिति का उपभोग कर रहा है ।

टिप्पण :---यह अधिनियम 31-12-1985 तक यथासंशोधित रूप में है, जो अंतिम बार 1985 के मेघालय अधिनियम संख्यांक 10 द्वारा संशोधित किया गया था ।